कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.01.2025

विषय:- मारपीट कर धमकाने के मामले वांछित अभियुक्त नीरज थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल व मैगजीन व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 28/2025 धारा 115(2),352,351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त नीरज पुत्र कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी चकिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दिनांक-25.01.2025 को समय करीब 17.40 बजे चोलापुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल व मैगजीन व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ़्तारी व बरामदगी के आधार थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक 25.01.2025 को वादी मुकदमा ने पत्नी से हुए विवाद की बात को लेकर विपक्षीगण द्वारा गाली गलौज व मारपीट करने तथा पिस्टल सटाकर धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना चोलापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 दीनबन्धु तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण नीरज ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे बहनोई मेरी बहन की देखरेख नही कर रहे है और मेरी बहन को बिना हमलोगो को बताये मेरे घर पर छोड़कर चले आये यह बात हमलोगो को नागवार लगी तब मै मेरा भाई धीरज व मित्र रोहित को लेकर बहनोई की दुकान पर रात मे 10 बजे के लगभग पहुँचे तथा बातचीत के दौरान हम लोगो की उनसे धक्का मुक्की और विवाद हो गया मैंने पिस्टल अपने पास केवल बहनोई को धमकाने के लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

नीरज पुत्र कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी चकिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

चोलापुर बाजार, दिनांक-25.01.2025 को समय करीब 17.40 बजे ।

<u>बरामदगी विवरण-</u>

01 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन व 02 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 0028/2025 धारा 115(2),352,351(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1- उ0नि0 दीनबन्धु तिवारी थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2- का. अजय कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी